

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 845/2026

Babulal

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 767/2026

Anil Verma

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Appellant(s)	:	Mr. Ram Prakash Dudi Mr. Mukesh Meharia
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

08/05/2026

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 845/2026

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त ने प्रार्थना पत्र संख्या 01/26 को जरिये नोट प्रेस खारिज किये जाने का निवेदन किया और यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहअभियुक्त लक्की के मामले में समकक्ष पीठ द्वारा दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश के आधार पर प्रकरण को अपील योग्य माना गया है, अपीलार्थी-अभियुक्त का मामला भी सहअभियुक्त लक्की के समान है। सहअभियुक्त लक्की पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अ.नि.) प्रकरण अधिनियम के तहत आरोप नहीं था और अपीलार्थी-अभियुक्त पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अ.नि.) प्रकरण अधिनियम के तहत आरोप नहीं है। ऐसी अवस्था में कार्यालय द्वारा लगाये गये डिफेक्ट को ओवर रूल किया जावे।

इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने इस प्रकरण में सहअभियुक्त लक्की पुत्र राजेन्द्र के मामले में दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश के मुताबिक इसी प्रकार की आपत्ति कार्यालय द्वारा की गई थी जिसे ओवर रूल किया गया था। उस आदेश के

परिप्रेक्ष्य में उसी प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित मामला होने से कार्यालय द्वारा लगाये गये डिफेक्ट को अपीलार्थी-अभियुक्त के संबंध में भी ओवर रूल किया जाता है। प्रार्थना पत्र संख्या 01/26 नोट प्रेस किये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2 को दिनांक 15.05.2026 को वापसी योग्य नोटिस जारी किया जावे। नोटिस की तामील संबंधित थानाधिकारी के मार्फत करवाई जावे।

निवेदन अनुसार पत्रावली दिनांक 15.05.2026 को सूचीबद्ध हो।

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 767/2026

विद्वान लोक अभियोजक का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 पर नोटिस की तामील नहीं हो पाई है।

विद्वान लोक अभियोजक को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी से पूर्व नोटिस की तामील आवश्यक रूप से करवाई जावे।

निवेदन अनुसार पत्रावली दिनांक 15.05.2026 को सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J